न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 58 / 2016 (उदयपुर डिक्री)

तुलसीराम पिता उदा जी डांगी, निवासी रूपावली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती उदीबाई पुत्री कालू जी रावत पत्नी भैरूलाल रावत, निवासी रूपावली हाल मुकाम मावली डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती तुलसीबाई पत्नी मांगीलाल जी रावत, निवासी रूपावली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती केसरबाई पुत्री मांगीलाल पत्नी नारायण रावत, निवासी झालों की भागल (रूण्डेडा), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. उंकार पुत्र मांगीलाल रावत नाबालिग संरक्षक श्रीमती तुलसीबाई पत्नी मांगीलाल रावत, नि0 रूपावली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. सुश्री जमना पुत्री मांगीलाल रावत नाबालिग संरक्षक श्रीमती तुलसीबाई पत्नी मांगीलाल रावत, नि0 रूपावली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. कमलेश पुत्र मांगीलाल रावत नाबालिग संरक्षक श्रीमती तुलसीबाई पत्नी मांगीलाल रावत, नि0 रूपावली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. सुन्दर पुत्र मांगीलाल रावत नाबालिग संरक्षक श्रीमती तुलसीबाई पत्नी मांगीलाल रावत, नि0 रूपावली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. मांगीलाल पिता कालू जी रावत, निवासी रूपावली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
9. गोर्धन पिता रामा जी डांगी, निवासी रूपावली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
10. बालूलाल पिता तुलसीराम जी डांगी, निवासी रूपावली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती गमानीबाई पत्नी तुलसीराम जी डांगी, निवासी रूपावली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:45 IST
Reason: SelfAttested

12. श्रीमती वरदीबाई पत्नी गोर्धन जी डांगी, निवासी रूपावली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

13. ललित कुमार पिता चम्पालाल चौधरी (कलाल), जी डांगी, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

14. राज्य जरिये तहसीलदार व उप पंजीयन अधिकारी, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 01–06–2016 प्र. सं. 51/12

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अधिवक्ता

---::---

निर्णय **दिनांक 08–02–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मौजा रूपावली में स्थित आराजी नंबर 44, 46, 111, 125, 129, 130, 135/3, 154, 161 कुल किता 9 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मांगू पिता कालू के नाम दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 361 बिकाव से आराजी नंबर 111 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से 3 बिस्वा भूमि गोवर्धन पिता रामा व बालुराम पिता तुलसीराम के नाम दर्ज हुई है। नामान्तरकरण संख्या 508 द्वारा आराजी नंबा 111 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से मांगू पिता कालू रावत 25/28 के बजाय श्रीमती गमानी बाई पत्नी तुलसीराम, वरदीबाई पत्नी गोवर्धनलाल डांगी 25/28 के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त परिवार की पैत्रृक भूमि है, जिसमें 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 का एवं 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2 से 7 का है। यानि 1/14 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है, परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:45 IST
Reason: SelfAttested

गलती से पूरी आराजी वादी के नाम अंकित हो गयी है, जिससे उनके मन में बदनियती आ जाने से आराजी नंबर 111 में से 3 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को तथा शेष सवा बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को विक्रय कर दिया है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का 1/14 हिस्सा ही है। इसी प्रकार आराजी नंबर 129 व 130 किता 2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 6 को कर दिया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है एवं उक्त विक्रय वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य हैं। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात में से वादिया को 1/2 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 से 7 को क्रमशः 1/4, 1/4 यानि 6/14 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/14 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर पक्षकारों के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 01—06—2016 से वादीगण का वाद प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19—07—2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बताया है, जबकि आराजी नंबर 129 व 130 पर प्रार्थी का कब्जा होकर उसके खाते दर्ज है, जिससे अपीलान्ट पीडित पक्षकार होने से उसे अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि खातेदार रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपने खाते की आराजी नंबर 129 व 130 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 को रजिस्टर्ड विक्रय की एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 ने श्यामलाल को विक्रय की, श्यामलाल ने श्रीमती बाबुडी को विक्रय की एवं बाबुडी ने अपीलान्ट को दिनांक 18—08—2015 को रजिस्टर्ड विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है तथा वर्तमान में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:45 IST
Reason: SelfAttested

आराजी उसके खाते में अंकित है, लेकिन राजस्व लोक अदालत में उसे पक्षकार बनाये बिना रेस्पोन्डेन्टगण ने आपसी मिली भगत कर वाद डिक्री करवा लिया, जबकि इस मामले में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 को दावा लाने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी डिक्री के आधार पर खाता अपने नाम पर करवाने पर तुले हुए हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों के आपसी राजीनामे से वाद डिक्री किया है, ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। जहां तक अपीलान्ट द्वारा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने का एवं भूमि उसके खाते भूमि दर्ज होने का कथन है तो इस बाबत् अपीलान्ट ने न तो कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है, न ही कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है, तद्नुसार हम अपीलान्ट को पीड़ित पक्षकार नहीं पाते हैं तथा अपील सारहीन पाते हैं।

अतः अपीलान्ट पीड़ित पक्षकार साबित नहीं होने एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 08–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:45 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

तुलसीराम पिता उदा जी डांगी बनाम **श्रीमती उदीबाई पुत्री कालु जी रावत**
निवासी रूपावली, तहसील **नि0 रूपावली हाल मुकाम मावली**
वल्लभनगर, जिला उदयपुर **डांगियान, तह0 वल्लभनगर व अन्य**

अपील नं.....**58 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....01**.....माह.....**06**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**08**....माह.....**02**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री विजय कुमार ओस्तवाल**...मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपीलान्ट पीड़ित पक्षकार साबित नहीं होने एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–06–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**08**.....माह.....**02**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:45 IST
Reason: SelfAttested